सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का परिणामी बजट –2017-18 (मांग सं. 81)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2017-18**	**परिव्यय की तुलना में निर्गत/परिणाम 2017-18**	**अनुमानित मध्यकालिक परिणाम**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
क.	केंद्रीय क्षेत्र स्कीम			
1	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एनएचडीपी चरण III एवं IV सहित एनएचडीपी	23891.59	9000 किमी	कुल लंबाई- 55,577 किमी, पूरी की गई संचयी लंबाई (31.03.2016) - 27,238 किमी, कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2021-22, 31.03.2020 तक पूरा किया जाने का संचयी लक्ष्य- 48,707 किमी (88%)
2	ईएपी- एनएचआइआइपी	1225.00	300 किमी	कुल लंबाई -1,120 किमी, पूरी की गई संचयी लंबाई (31.03.2016)-- 325 किमी, कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य - 2019-20
3	विजयवाड़ा रांची कोरिडोर सहित एलडब्ल्यूई	900.00	250 किमी	कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लंबाई -5,531 किमी, पूरी की गई संचयी लंबाई (31.03.2016)-- 4,274 किमी, कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य - 2017-18
3.1	टीएसपी सहित एलडब्ल्यूई	700.00	250 किमी	
3.2	विजयवाड़ा रांची	200.00		
4	अरुणाचल पैकेज सहित एसएआरडीपी	5765.00	300 किमी	कुल लंबाई (**चरण क-4,099 किमी और अरुणाचल प्रदेश पैकेज 2,319 किमी**) = 6,418 किमी । 2020-21 तक कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य और 31.03.2020 तक पूरा किया जाने वाले संचयी लक्ष्य है- 5,957 किमी (93%) **चरण ख:**-कुल लंबाई -3,723 किमी, एसएआरडीपी-एनई चरण ख के अंतर्गत कार्यों को 2017-18 से शुरू किए जाने की संभावना है । 31.03.2020 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य है -1,400 किमी (38%)
5	सेतुभारतम (परिणाम- पुलों/आरओबी की संख्या)	बी (1) के अंतर्गत रारा(मूल) में से	**50** अदद	कुल 1,708 (1,500 पुल, 208 आरओबी/आरयूबी) कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2020-21 31.03.2020 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य- 1,105 अदद (71 %)

कुल		**31581.59**	**9850 किमी**	
ख.	**अन्य**			
1	मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित रारा(मूल) + वीजीएफ सहित एलएल एनएच/उच्च यातायात घनत्व वाले अन्य रारा के उन्नयन सहित 21,244 किमी (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार) का विकास किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं है ।	21557.57	5150 किमी	कुल लंबाई -22,843 किमी (रारा (मूल)-वीजीएफ स्कीम के अंतर्गत =21,244 किमी + 1,599 किमी), कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2021-22 । तथापि, रारा(मूल) वीजीएफ स्कीमें 2019-20 तक पूरी की जाएगी । 3. पूरा करने का लक्ष्य (31.03.2020)-16,147 किमी (66%)
ग.	नई प्रस्तावित स्कीम (निवेश संबंधी निर्णय के अनुमोदन के अध्यधीन)			
1	तटवर्ती / सीमावर्ती क्षेत्र	बी (1) के अंतर्गत रारा(मूल) में से	डीपीआर तैयार की जा रही है तथा प्रस्तावित भारतमाला कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को निवेश संबंधी निर्णय के अध्यधीन शुरू किया जाएगा ।	कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लंबाई -54,370 किमी कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2021-22 कार्य पूरा करने का लक्ष्य (31.03.2020)- 13,050 किमी (24%)
2	सागरमाला के साथ संयोजन में एक्सप्रेसवेज़			
3	राष्ट्रीय गलियारों की कार्यक्षमता में संवर्धन कार्यक्रम			
4	आर्थिक गलियारों की कार्यक्षमता में संवर्धन कार्यक्रम			
5	पिछड़ें क्षेत्र, धार्मिक एवं पर्यटक स्थल			
6	चार धाम		कई पैकेजों के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है, 3,600 करोड़ रु. की राशि वाले 19 कार्यों को संस्वीकृत किया गया तथा निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के अंतर्गत हैं ।	कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लंबाई -889 किमी कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2019-20
कुल		-	-	
घ.	सड़क स्कंध की अन्य स्कीमें			
1.	आर्थिक महत्व एवं अंतरराज्यीय सड़क-संपर्कता (ईआइऐंडआइएससी)	815.67	आर्थिक महत्व एवं अंतरराज्यीय सड़क-संपर्कता की सड़कों के विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्र के लिए स्कीम हेतु निधि निर्धारित की जाती है । किया गया काम/परिणाम बता पाना संभव नहीं है ।	

2.	अनुसंधान एवं विकास, गुणता सुनिश्चयन		83.41	यह प्रावधान केंद्रीय सरकार द्वारा गुणता सुनिश्चयन प्रणाली स्थापित करने, कार्यों, अनुसंधान एवं विकास की निगरानी किए जाने के लिए है । किया गया काम/परिणाम बता पाना संभव नहीं है ।	
3.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य प्रभार		7.00	इस निधि का उपयोग मंत्रालय की कार्य-प्रणाली के डिजिटीकरण तथा कम्प्यूटर सहायक उपकरणों के प्रापण के लिए किया जाता है ।	
4.	पीबीएफएफ (राज्यों द्वारा टोल)		37.86	यह राज्यीय लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर उनके द्वारा संगृहीत किया गया टोल है । यह निधि राष्ट्रीय राजमार्गों के और अधिक विकास के लिए राज्यों को आबंटित की जाती है । किया गया काम व परिणाम क्रम सं. बी (1) के अंतर्गत शामिल है ।	
5.	सीआरएफ (राज्यीय सड़कें)		7267.66	यह निधि राज्यीय योजना के लिए है तथा केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए विनिर्धारित की जाती है । यह निधि राज्यीय सड़कों के विकास के लिए अनुदान-सहायता के रूप में निर्मुक्त की जाती है । किया गया काम/परिणाम बता पाना संभव नहीं है ।	
6.	अनुरक्षण एवं मरम्मत (एमऐंडआर)		2970.32	इस निधि का उपयोग विकसित राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए किया जाता है । यह निधि आवश्यकताओं, कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की मार्ग-गुणता में सुधार, बाढ़ क्षति की मरम्मतों, विशेष मरम्मतों आदि के रूप में उपयोग की जाती है । अनुरक्षण संबंधी ये कार्य योजना कार्यों से भिन्न हैं तथा किया गया काम/परिणाम बता पाना संभव नहीं है ।	
कुल			**11181.92**		
कुल सड़क स्कंध (क+ख+ग+घ)			**64521.08**	15,000 किमी	
7	सड़क सुरक्षा	प्रसार उपाय एवं जागरूकता अभियान	75.00	(i) 45000 विडियों झलकियों और 40000 रेडियों झलकियों का दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाएगा । सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न हितधारकों को सड़क सुरक्षा संबंधी सामग्री भी भेजी जाएगी । (ii) सड़क सुरक्षा समर्थन के लिए राज्यों को 5 करोड़ रु. तक की अनुदान सहायता उपलब्ध	i) विडियों और रेडियों झलकियों के दूरदर्शन के प्रसारण के लिए कार्य-आदेश जारी किया गया है । ii) राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए ।

				कराया जाना	
		राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा परियोजना	12.00	राष्ट्रीय राजमार्गों की 13500 किमी लंबाई को शामिल किया जाएगा । नकदीरहित उपचार के प्रायोगिक चरण के दौरान हुए अनुभव तथा डब्ल्यूएचओ द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर नकदीरहित उपचार स्कीम को देश के अन्य भागों में विस्तारित किया जा सकता है ।	परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) को जारी किया जाना ।
		असंगठित क्षेत्र में चालकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास	40.00	(i) लगभग 80,000 एचएमवी चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा (ii) लगभग 60 कार्यक्रमों को राज्यीय परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए संस्वीकृत किया जाएगा । (iii) 100 अदद आइडीटीआर/ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक और 4 आइडीटीआर संस्वीकृत किए जाएंगे । (iv) 11वीं और 12वीं योजना के दौरान संस्वीकृत आइडीटीआर का निर्माण किए जाने के लिए निधि निर्मुक्त की जाएगी ।	i) चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्वीकृति जारी किया जाना । i) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्वीकृति जारी किया जाना । iii) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या । iv) आइडीटीआर की वास्तविक प्रगति ।
		सड़क सुरक्षा और प्रदूषण जांच उपस्कर एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	2.00	राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए 300 गैस ऐनालाइज़रों और 300 स्मोक मीटरों के प्रापण हेतु राज्यों को निधि निर्मुक्त किया जाना । 5 शहरों में स्माइल (एसएमआइएलई) परियोजना शुरू करने व 1000 ब्रेथ ऐनालाइज़रों के प्रापण हेतु राज्यों को निधि निर्मुक्त किया जाना ।	राज्यों से गैस ऐनालाइज़रों, स्मोक मीटरों और ब्रेथ ऐनालाइज़रों की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव की प्राप्ति ।

8	राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क	(i) कम्प्यूटर प्रणाली और राष्ट्रीय डाटा बेस (ii) आंकडे संग्रहण, अनुसंधान एवं विकास और परिवहन अध्ययन	45.00	ड्राइविंग लाइसेंसों के राष्ट्रीय रजिस्टर एवं राज्यीय रजिस्टर को प्रवर्तन और अन्य विभिन्न आवेदनों हेतु पूरा किया जाना । मंत्रालय की आइआइटी, आइआइएम जैसे देश के प्रमुख संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास अध्ययन कराए जाने की मंशा है ।	
9	निरीक्षण एवं अनुरक्षण केंद्र	परिवहन केंद्र की स्थापना सहित निरीक्षण एवं अनुरक्षण केंद्रों की स्थापना ।	35.00	3 नए निरीक्षण एवं अनुरक्षण केंद्र संस्वीकृत किए जाएंगे । विगत वर्षों के दौरान संस्वीकृत निरीक्षण एवं अनुरक्षण केंद्र के लिए उपस्कर का प्रापण । विगत वर्षों के दौरान संस्वीकृत निरीक्षण एवं अनुरक्षण केंद्र का व्यय संचालन ।	i) राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए । ii) विगत वर्षों के दौरान संस्वीकृत निरीक्षण एवं अनुरक्षण केंद्र ने सिविल निर्माण की स्थिति ।
10	सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	राज्यीय सड़क परिवहन निगमों को सहायता (ii)राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में बड़े बस पत्तनों/टर्मिनलों का विकास इलेक्ट्रिक बसों के संबंध में सीआइआरटी प्रायोगिक परियोजना	40.00	राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के 3 से 5 प्रस्तावों को संस्वीकृत किया जाना । दूसरी और तीसरी किस्त की निर्मुक्ति के लिए पिछले वर्ष हेतु प्रतिबद्ध देयता पर विचार किया जाना । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए परियोजना संदर्भ दस्तावेज तैयार करने हेतु परामर्शदाताओं को पैनल में सम्मिलित करना तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना । राज्यीय सड़क परिवहन उपक्रम (एसआरटीयू) की 10 अदद बसों को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित किया जाना ।	राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और संस्वीकृति संबंधी आदेश जारी किया जाना । परामर्शदाता को पैनल में शामिल करने हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया जाना । इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित की गई बसों की संख्या ।
11	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा प्राधिकरण का सृजन करने	1.00	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन प्राधिकरण का सृजन ।	सरकार का अनुमोदन ।

		हेतु सहायता			
	कुल परिवहन स्कंध		**250.00**		
कुल (कुल सड़क स्कंध + कुल परिवहन स्कंध)			**64771.08**		